राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.27(7)न्याय/2014 जयपुर, दिनांक 12 JAN 2023

:: परिपत्र ::

विषयः–राजस्थान विधि सेवा एवं राजस्थान विधि रचना सेवा के अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन स्वयं द्वारा भरने के संबंध में।

राजस्थान विधि सेवा एवं राजस्थान विधि रचना सेवा के अधिकारियों द्वारा प्रति वर्ष 01, जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पति विवरण दिनांक 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान है। कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर समस्त राजपत्रित अधिकारियों की अचल सम्पति विवरण कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने के लिए परिपत्र जारी किये जाते रहे है। अतः सभी अधिकारियों को निम्न बिन्दुओं की पालना कर अचल सम्पति विवरण वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए निर्देशित किया जाता हैः–

1. राजस्थान विधि सेवा एवं राजस्थान विधि रचना सेवा के अधिकारियों द्वारा प्रति वर्ष 01 जनवरी, 2023 की स्थिति में अपना अचल सम्पति विवरण 31 जनवरी, 2023 तक अनिवार्य रूप से SSO-ID से लॉग इन कर राज काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन स्वंय अधिकारी द्वारा की जाएगी एवं 31 जनवरी पश्चात् IPR MODULE को बन्द कर दिया जाएगा। उसके बाद अचल सम्पति विवरण नहीं भरें जाएंगे।
2. जो अधिकारी अपना अचल सम्पति विवरण की सूचना प्रस्तुत नहीं करेंगे, कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(76)का./क–1/गो.प्र./2011 दिनांक 14.04.2011 के तहत विजिलेन्स क्लीयरेन्स नहीं दी जाएगी एवं पदोन्नति व वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जाएगा। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड, निगम, स्वायत्तशाषी संस्थाओं उपक्रमों पर भी लागू है।
3. समस्त राज्य सेवा अधिकारियों को SSO-ID से राज–काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन–लाईन IPR भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में उक्त परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अंकित IT अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।

-ह०-

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. राजस्थान विधि सेवा संवर्ग/राजस्थान विधि रचना सेवा संवर्ग के समस्त अधिकारीगण।
2. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

12/1/23

संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA 2022-23\ORDER-2022.docx